मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 4011 /एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस./एन.आर–17/2011 भोपाल, दिनांक 21/04/2011

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म.प्र.
जिला -- बैतूल, सागर, छिन्दवाड़ा, मण्डला, राजगढ़,
ग्वालियर, छतरपुर, दमोह, मंदसौर, शाजापुर

विषयः "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भः म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 6673, दिनांक 20.04.07 एवं पत्र क्रमांक 6300 दिनांक 25.6.10

विषयांतर्गत शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि नंदन फलोद्यान उपयोजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना के संयोजन से किया जावे। इसके लिए प्रथम चरण में 10 जिलों का चयन किया गया है। इन 10 जिलों में नंदन फलोद्यान उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए संदर्भित निर्देश के तारतम्य में यह निर्देश जारी किया जा रहा है।

2. **चयनित जिले :–**

चयनित जिले निम्नानुसार हैं–

बैतूल, सागर, छिन्दवाड़ा, मण्डला, राजगढ़, ग्वालियर, छतरपुर, दमोह, मंदसौर, शाजापुर

3. **हितग्राहियों का चयन :–**

चयनित जिलों में प्रत्येक जिले में 100–100 पात्र हितग्राहियों का चयन मनरेगा के अंतर्गत नंदन फलोद्यान उपयोजना हेतु समय–समय पर जारी संदर्भित पत्रों/दिशा–निदेशों के अनुसार किया जावेगा। हितग्राहियों के चयन में उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अथवा कपिलधारा उपयोजना या अन्य विभागों की योजना से सिंचाई सुविधा विकसित की गई है।

हितग्राहियों का चयन जिले में मनरेगा से जिला स्तर पर पदस्थ उद्यानिकी सहायक एवं उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक उद्यान द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।

4. **प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना :–**

- चयनित हितग्राही हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तीन वर्ष के लिए बनाई जावेगी।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो भाग में तैयार की जावेगी।
- प्रथम भाग में क्षेत्र की आवश्यकतानुसार श्रम मूलक कार्य जैसे – भूमि का समतलीकरण, पशु अवरोधक खंती/सी.पी.डब्ल्यू. का निर्माण, गड्ढा खुदाई, गड्ढा भराई, पौध रोपण, निंदाई, गुड़ाई इत्यादि रहेगा, जिसके लिए वित्तीय सहायता मनरेगा से उपलब्ध कराई जावेगी।

- द्वितीय भाग में आदान सामग्री का आंकलन एवं व्यवस्था जैसे– पौधे, खाद, बीज, कीटनाशक, आवश्यक कृषि उपकरण इत्यादि जिनका संबंध वृक्षारोपण गतिविधि से है, की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से की जावेगी।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मनरेगा से जिला स्तर पर पदस्थ उद्यानिकी सहायक एवं उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक उद्यान द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा, जिस पर उक्त दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

5. **प्रोजेक्ट रिपोर्ट की स्वीकृति :–**
   - संयुक्त हस्ताक्षर से तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट का त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम, जनपद, जिला पंचायत) से अनुमोदन प्राप्त कर शेल्फ–ऑफ–प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
   - प्रोजेक्ट के प्रथम भाग की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति मनरेगा के समय समय पर प्रसारित दिशा–निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुरूप जारी की जावेगी।
   - प्रोजेक्ट के द्वितीय भाग की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के समय समय पर प्रसारित दिशा–निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुरूप जारी की जावेगी।

6. **समय सीमा :–**

   हितग्राहियों के चयन से लेकर वृक्षारोपण गतिविधियों की समय सारणी परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

7. **क्रियान्वयन :–**

   प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन सहायक संचालक उद्यान एवं मनरेगा के जिले में पदस्थ उद्यानिकी सहायक संयुक्त रूप से करेंगे। इसके लिए उक्त दोनों पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए तत्परता पूर्वक कार्यवाही करें जिससे आगामी वर्षा ऋतु में नंदन फलोद्यान उपयोजना का सफल क्रियान्वयन चयनित जिलों में किया जा सके।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(आर.परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 4012 / एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. / 2011 भोपाल, दि. 21/04/2011

प्रतिलिपि :–

1. सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
3. मिशन संचालक, म.प्र. राज्य उद्यानिकी मिशन समिति, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
4. संभागीय आयुक्त, शहडोल, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, चम्बल, जबलपुर, सागर, उज्जैन, एवं रीवा।

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

समय सारणी

क्र.	गतिविधि	समय–सीमा
1	पात्र हितग्राही के चयन हेतु आवेदन प्राप्त करना	अप्रैल में
2	हितग्राही का चयन, पौधों की आवश्यकता का आंकलन	15 मई तक
3	प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर अनुमोदन प्राप्त करना एवं समस्त स्वीकृतियां जारी करना	30 मई तक
4	चयनित हितग्राही का प्रशिक्षण	07 जून तक
5	क्षेत्र तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, गढ्ढों का खोदना, भरना, पौधों एवं आदान सामग्री की व्यवस्था करना	15 जून तक
6	पौध रोपण कार्य पूर्ण करना एवं थाला बनाना	30 जुलाई तक
7	प्रथम निदाई, गुड़ाई कार्य, खाद इत्यादि डालना	सितम्बर
8	द्वितीय निदाई, गुड़ाई कार्य, खाद इत्यादि डालना	अक्टूबर
9	तृतीय निदाई, गुड़ाई कार्य, खाद इत्यादि डालना	दिसम्बर
10	बगीचों का अनुदान भुगतान हेतु भौतिक सत्यापन करना	30 सितम्बर तक
11	समस्त भुगतान करना	30 दिसम्बर तक